महोबा पुलिस

दिनांक- 14.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 723/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 14.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 14.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 724/26

महोबा पुलिस

कानून-व्यवस्था एवं बैंकिंग सुरक्षा के दृष्टिगत महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया बैंक चेकिंग अभियान...।

- आज दिनांक 14.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में, रविवार की साप्ताहिक अवकाश के उपरांत सोमवार को बैंक खुलते ही जनपद महोबा में बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया।
- अभियान के दौरान महोबा पुलिस द्वारा बैंकों के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक में आने-जाने वाले ग्राहकों तथा वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया गया।
- पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही आमजन को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग लेन-देन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। महोबा पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

दिनांक- 14.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 725/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 अंकित सिंह चौहान द्वारा आज दिनांक 14.09.2026 को कम्पयूटर नं0 600012/2013 एनसीआर नं0 67/2012 धारा 323,504 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी अभियुक्त बिन्दा पुत्र गुपला उम्र 80 वर्ष निवासी ग्राम भटेवर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को ग्राम भटेवर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरणः-

बिन्दा पुत्र गुपला उम्र 80 वर्ष निवासी ग्राम भटेवर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को ग्राम भटेवर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 अंकित सिंह चौहान थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा

दिनांक- 14.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 726/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम व बरामदगी/गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में उ0नि0 अंकित सिंह चौहान द्वारा मय हमराह पुलिस बल के द्वारा किडारी गांव के मोड़ से अवैध शराब की बिक्री कर रहे अभियुक्त अशोक ढीमर पुत्र स्व0 धनुआ उम्र करीब 53 वर्ष निवासी ग्राम किड़ारी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 14 अदद देशी क्वार्टर शराब झूम ब्रांड नाजायज बरामद की गई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 455/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अशोक ढीमर पुत्र स्व0 धनुआ उम्र करीब 53 वर्ष निवासी ग्राम किड़ारी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

बरामदगी विवरण-

1. 14 अदद देशी क्वार्टर शराब झूम ब्रांड नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अंकित सिंह चौहान, थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0 सत्यम मिश्रा, थाना कोतवाली नगर महोबा

दिनांक- 14.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 727/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ - थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में थाना महोबकंठ पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। गठित पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ जनपद महोबा से निर्गत वारंटों की तामीला के क्रम में आज दिनांक 14.09.2026 को 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह हे0का0 अशोक कुमार एवं का0 अमित कुमार द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत वारंटों की तामीला के क्रम में 03 वारण्टी अभियुक्तों हल्कुट्टी पुत्र जियालाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ; सुनील पुत्र वासुदेव, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ तथा कल्लू उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र तुलाराम राजपूत, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम पचारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त हल्कुट्टी एवं सुनील एनसीआर नं0 20/2013 से तथा अभियुक्त कल्लू उर्फ पुष्पेन्द्र मुकदमा सं0 976/2014 से सम्बन्धित वारण्टी हैं।

इसी क्रम में उ0नि0 रामकुमार मय हमराह हे0का0 अशोक कुमार एवं का0 अमित कुमार द्वारा मुकदमा सं0 318/2018, धारा 452/323/427/504/506 भादवि0 से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त बबलन उर्फ रामकुमार पुत्र पंखी, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम काशीपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार सभी वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 रोहित कुमार 2.उ0नि0 रामकुमार 3.हे0का0 अशोक कुमार 4.का0 अमित कुमार

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

हल्कुट्टी पुत्र जियालाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा,

सुनील पुत्र वासुदेव, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

कल्लू उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र तुलाराम राजपूत, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम पचारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

बबलन उर्फ रामकुमार पुत्र पंखी, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम काशीपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा